

फर्द अहकाम

न्यायालय न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

शान्ती

बनाम

बाबूलाल

मुकदमा संख्या/वर्ष 65/2019

1/20

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़, जिला जयपुर

- जस्व वाद सं. 65 / 2019
1. शान्तिदेवी पति प्रहलाद
 2. मिश्री पति लालाराम
- समस्त आयु वयस्क समस्त जाति गुर्जर समस्त निवासी ग्राम घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	13/8/22	<p>सहायक कलक्टर जमवारामगढ़ (जयपुर)</p> <p>29/8/22 को पेश हो।</p>	
	29/8/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी- 3200 वकील वादी की कागज कागजात तथा कनिष्ठ काट न्यायालय में समाप्ती पर पुत्र कागज कागजात गठ हमसे उपस्थित ही वकील वादी उपस्थित नहीं आए/कत। वकील वादी की अड पहचान के वादी को वाद अदत एफरी अदत पेशी में पेश होना पार। ही पत्रावली निम्न मुक्त होना कागज में समाप्ती</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर</p>	

बनाम वादीयागण

- बाबूलाल पुत्र तेजाराम जाति गुर्जर निवासी खोनागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
माया पति सुन्दर जाति बलाई निवासी खुर्द मामटोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
रामजीलाल पुत्र हरदेव जाति रैगर निवासी ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
बोदूराम उर्फ झुमरलाल पुत्र प्रमात राजू पुत्र प्रमात कन्हैया पुत्र प्रमात समस्त आयु वयस्क समस्त जाति गुर्जर समस्त निवासी ग्राम घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

- श्रीमानजी,
- वादीयागण की ओर से वादपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-
1. यह कि वादीया सं. 1 कि खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 258 रकबा 1.0100 हेक्टेयर एवं वादीया सं. 2 कि खातेदारी कब्जे काश्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 409/258 रकबा 1.0100 हेक्टेयर भूमि घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ़ में स्थित है जिसे आगे उक्त वादपत्र वादग्रस्त आराजी लिखा गया है।
 2. यह कि उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 258, 409/258 भूमि घाटाजलधारी में स्थित भूमि को वादीयागण अपने हिस्से कि खातेदारी भूमि मौके पर काबिज काश्तकार हैं, जो अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर साधिकार काबिज काश्त हैं।
 3. यह कि वादीयागण के कब्जे काश्त व हक अधिकार खातेदारी की व भूमि खसरा नम्बर 258, 409/258 से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व नहीं हैं।
 4. यह कि वादीयागण वादग्रस्त आराजी पर रिकार्ड्ड खातेदार की हैसियत काश्त करती हैं तथा वादीयागण को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त वादग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा करने, उपयोग व उपभोग कर शांति पू